निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 06 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी के माह 05/2012 से 04/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.05.2017 से 17.05.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, पुरोला

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	283.50	113.20	17.80	6.17	-	-
2013-14	-	-	275.25	204.86	11.88	9.06	-	-
2014-15	-	-	1811.5	252.49	12.90	10.98	-	-
2015-16	-	-	278.20	261.17	10.10	9.80	-	-
2016-17	-	-	319.63	260.07	12.35	11.04	-	-
2017-18 (04/17 तक)	-	-					-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त गढ़वाल मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2015, 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-01 वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि **₹ 15.43** लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी के विभिन्न विभागों द्वारा जारी किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 आर0सी0 की वसूलियां धनराशि ₹ 15.43 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि
2012-13 तक	1660849
2013-14 तक	138963
2014-15 तक	74888
2015-16 तक	1742461
2016-17 तक	1543200

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वसूली एक अनवरत प्रकिया है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के समाप्ति के तुरन्त पश्चात ही आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए थी। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 रु 0.42 लाख की निष्प्रोज्य सामग्री का निस्तारण न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम-2005 के पैरा 196 एवं 197 के अनुसार कार्यालय के निष्प्रयोज्य वस्तुओं (जिनकी मरम्मत न की जा सके) को सक्षम अधिकारी द्वारा समिति बनाकर एवं तकनीकी सामग्री को तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित करके शीघ्र निष्तारण किया जाना चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी के निष्प्रयोज्य सामग्री से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न तकनीकी सामग्री को तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किया गया-

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मॉडल संख्या	नग	निष्प्रयोज्य घोषित करने की तिथि	अनुमानित मूल्य (₹ में)
1.	जीप	यू.ए.10/0401	01	09.07.2007	20000
2.	जीप	यू.ए.10/0402	01	12.09.2014	20000
3.	गाडियों के टायर	-	08	-	800
4.	कुर्सी	-	30	-	750
5.	मेज	-	15	-	500
6.	कोर्ट चेम्बर	-	01	-	200
योग			56		42250

निष्प्रयोज्य सामग्री द्वारा अनावश्यक रुप से कार्यालय में स्थान का घेराव हो रहा है एवं मुल्य का ह्रास हो रहा है जिसे शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि निष्प्रयोज्य सामग्री का शीघ्र निस्तारण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री उदय सिंह राणा	उपजिलाधिकारी	10.12.2010	12.06.2012
2.	श्री राजकुमार पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	13.06.2012	11.06.2013
3.	श्री परमानन्द राम	उपजिलाधिकारी	12.06.2013	03.07.2013
4.	श्री राजकुमार पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	08.07.2013	25.03.2015
5.	श्री के0के0 सिंह	उपजिलाधिकारी	26.03.2015	28.06.2016
6.	श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	26.07.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, पुरोला, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र